मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ.प्र. सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय, 4–ए गोखले मार्ग, लखनऊ

क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र

(यदि आशयित उपभोक्ता परिसर का स्वामी नहीं है)

सेवा में,
..... अभियन्ता .
.....
.....

प्रेषक,
.....
.....
.....

चूकिं वह भूमि/परिसर जिसका विवरण नीचे दिया गया है, श्री/श्रीमती के ....स्वामित्व में है और मैं उक्त भूमि/परिसर का केवल पट्टेदार/किरायेदार/अधिभोगी हूँ जहाँ पर बिजली के कनेक्शन हेतु मैंने आवेदन किया है। मैं श्री/श्रीमती..... से इस विषय में सम्मति प्राप्त नही कर सका हूँ, लेकिन मैने उक्त भूमि/परिसर के अधियोग का सबूत अर्थात विधिमान्य मुखतारनामा/किराये की नवीनतम रसीद/पंजीकृत पट्टा विलेख उपलब्ध करा दिया हैं।

अतः आपूर्ति की शर्तों पर जिसके लिए मैंने अनुबन्ध किया है, मुझे बिजली के कनेक्शन की स्वीकृति होने पर मैं अनुज्ञप्तिधारी को होने वाली सभी प्रकार की क्षतियों और दावों की क्षतिपूर्ति करने और उसे उपहानि से मुक्त रखने को सहमत हूँ। इसमें कथित भूमि/परिसर के स्वामी (भले यह मालिक श्री/श्रीमती..... या कोई अन्य हो) द्वारा कार्यवाही की धमकी दिए जाने या उसके अनुरोध के कारण होने वाले मुकदमें में आने वाली लागत, मूल याचिकाएँ और सभी प्रकार की विधिक कार्यवाहियाँ सम्मिलित हैं जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी उपगत कर सकता हैं या उसके द्वारा उपगत किए जाने की सम्भावना हैं। मैं पुनः सहमत हूँ, कि भूमि/परिसर के स्वामी की सम्मति के बिना मुझे दिए गये बिजली के कनेक्शन के कारण उत्पन्न होने वाले ऐसा कोई नुकसान, क्षति या अन्य कोई दावा मुझेसे और मेरी सम्पत्ति से वसूली किए जाने के समय लागू राजस्व वसूली अधिनियम में दिए गये उपबन्धों के अन्तर्गत, या ऐसी किसी कार्यवाही द्वारा जिसे अनुज्ञप्तिधारी प्राथमिकता देना उचित समझता है, वसूल किए जाने योग्य है।

मैं स्वयं को ऐसी वसूली और कार्यवाहियों पर होने वाले व्यय के लिए भी उत्तरदायी मानता हूँ।

स्थान :.....
दिनांकः.....

(पट्टेदार/किरायेदार/अधिभोगी के हस्ताक्षर)

साक्ष्य

1. .....
2. .....